प्रस्तावना

प्रस्तावना = संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों का वर्णन

संविधान का मूल दर्शन अन्तर्निहित है।

प्रस्तावना भारतीय संविधान की मूल कुंजी है जिसमें संविधान के मूलभूत आदर्शों, उद्देश्यों का वर्णन है। प्रस्तावना में वर्णित ये आदर्श विधान संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को <u>उद्देश्य प्रस्ताव</u> के रूप में स्वीकार किए गए थे जिनमें भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय स्थापित करने का संकल्प लिया गया था। प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन अन्तर्निहित है। यह भारतीय संविधान की जन्मकुण्डली है।

<u>कार्ल फ्रेड्रिक</u> - प्रस्तावना द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है।

फ्रांसीसी क्रांति → स्वतं. समान. | + रूसी क्रांति → सामाजार्थिक न्याय

कार्ल फ्रेड्रिक के अनुसार प्रस्तावना उस के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है।' नेहरू के अनुसार प्रस्तावना में दो महान क्रांतियों के आदर्शों का वर्णन है। प्रस्तावना में फ्रांसीसी क्रांति का दर्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का वर्णन है। रूसी क्रांति के सामाजिक आर्थिक न्याय के आदर्शों को भी सम्मिलित किया गया है।

<u>शक्ति का स्त्रोत</u> - हम भारत के लोग संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही हुआ है

प्रस्तावना में संविधान की शक्ति के स्रोत का वर्णन है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोगों ने संविधान का निर्माण किया और उसे स्वयं स्वीकार किया। अतः संविधान किसी विशेष समूह या व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है। अपितु इसका निर्माण जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया।

प्रस्तावना में भारतीय संविधान के मूलभूत आदर्शों का वर्णन है। डॉ. अम्बेदकर के शब्दों में स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है और संविधान का मूलभूत उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान मूलतः सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है और प्रस्तावना में वर्णित निम्न लिखित आदर्श इसी की ओर संकेत करते हैं

A. सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय

B. विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, और उपासना की स्वतंत्रता

C. प्रतिस्थिति और अवसर की समानता

D. सभी नागरिकों में बंधुता की भावना का विकास और व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता अखण्डता की रक्षा करना

भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के अनेक प्रावधानों का उल्लेख है। मूल अधिकार के भाग और निदेशक तत्वों के भाग में संविधान की अन्तरात्मा निहित है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के कल्याण के विशेष उपाय भी वर्णित हैं। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुण्डली भी कहा जाता है।

प्रस्तावना में वर्णित उपरोक्त आदर्शों को पूर्ण करने के लिए सरकार की प्रणाली का भी स्पष्ट वर्णन है। इस के अनुसार भारत संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य शासन के मूलभूत आधार स्वीकार किये गए। संप्रभु का अभिप्राय आन्तरिक रूप में सर्वशक्तिशाली और बाह्य रूप में स्वतंत्र है। 1947 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता से मुक्त हो गया।

समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42 वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया। संविधान में समाजवाद का अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए 1955 के कांग्रेस के आवदी (TN) अधिवेशन में स्पष्ट किया गया ~~जिसके~~ :
समाजवाद का आशय सभी लोगों को जीवन की न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान करना, अवसर की समानता और समाज में शोषण और विभेदों को समाप्त करते हुए समाज के समाजवादी ढाँचे का निर्माण करना। इन्दिरा गांधी के अनुसार हमारे समाजवाद का एक अलग रूप है। यह सोवियत संघ से भिन्न है और भारत में राष्ट्रीयकरण तभी किया जाएगा जब आवश्यकता होगी। केवल राष्ट्रीयकरण हमारे समाजवाद का अभिप्राय नहीं है। यह बिन्दु ध्यान देने योग्य है कि संविधान सभा में प्रो॰ के. टी. शाह ने ~~समा~~ प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ने का आग्रह किया था परन्तु डॉ॰ अम्बेदकर ने इसे अस्वीकृत कर दिया। उनके अनुसार समाजवाद

राष्ट्रीय एकता और अखंडता

प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने पर भी महत्त्वपूर्ण बल प्रदान किया गया है क्योंकि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ तत्कालीन समय में देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समय निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान थीं –

A. देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय
B. उ० पूर्वी राज्यों में आतंकवाद/अलगाववाद
C. पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर में कबायली आक्रमण
D. देश में भयंकर साम्प्रदायिक दंगे

इसीलिए भारतीय संविधान में संघ सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है और राष्ट्रीय एकता अखंडता के हित में मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध का प्रावधान है

प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की तिथि का भी उल्लेख है।

प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं ?

प्रस्तावना में भारतीय संविधान के मूल आदर्शों एवं उद्देश्यों का वर्णन है। बेरूबाड़ी केस (1960) में न्यायपालिका के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है जिसमें आदर्शों और उद्देश्यों का महत्व नहीं होता। परन्तु केशवानन्द भारती वाद (1973) में न्यायपालिका ने बेरूबाड़ी के निर्णय को पलट दिया और प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न भाग माना क्योंकि प्रस्तावना में वर्णित आदर्श और उद्देश्य संविधान की मूल आत्मा है और न्यायपालिका के अनुसार प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है क्योंकि भारतीय संविधान केवल शासन संचालन का एक माध्यम मात्र नहीं है बल्कि मूलतः सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रस्तावना के किन भागों का संशोधन किया जा सकता है? न्यायपालिका के अनुसार जो भाग मूल ढांचे के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं उनका संशोधन किया जा सकता है परन्तु मूल ढांचे में सम्मिलित भाग का संशोधन नहीं किया जा सकता।

न्यायपालिका ने 24 वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक माना।

✓ आधारभूत ढाँचा (Basic structure)

- संसद संशोधन कर सकती है
  लेकिन आमूल-चूल परिवर्तन/पूर्ण पुनरीक्षण की शक्ति नहीं है।
- संशोधन की संसद की शक्ति सीमित (limited) है असीमित नहीं।
  सीमित है संविधान के आधारभूत ढाँचे से

केशवानन्द बाद के फैसले के बाद संसद सदस्यों ने काफी रोष व्यक्त किया – संसद पर कुठाराघात बताया।

निष्कर्ष

केशवानन्द भारती वाद में न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कहा कि मूल अधिकारों का संशोधन हो सकता है परन्तु मूल अधिकारों को सामान्य विधि द्वारा नहीं छीना जा सकता। न्यायपालिका के अनुसार संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जा सकता है परन्तु आधारभूत ढाँचे का संशोधन नहीं किया जा सकता और न्यायपालिका ने मूल अधिकारों के भाग को संविधान के आधारभूत ढांचे के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया। यद्यपि न्यायपालिका के इस निर्णय को अनेक विद्वानों ने अन्तर्विरोधी माना क्योंकि न्यायपालिका के अनुसार, मूल अधिकारों का संशोधन हो सकता है परन्तु अनु. 32 आधारभूत ढाँचा है। जबकि अनु. (32) स्वयं मूल अधिकारों का ही भाग है।

मिनर्वा मिल्स वाद में भी न्यायपालिका ने केशवानन्द भारती के निर्णय की पुष्टि की और न्यायपालिका ने यह माना कि मूल अधिकारों का संशोधन हो सकता है। इसी के साथ न्यायपालिक ने यह भी कहा कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों का सामंजस्यपूर्ण संबंध संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसलिए वर्तमान समय में मूल अधिकारों का संशोधन हो सकता है इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। परन्तु इस संशोधन पर निम्नलिखित सीमाएँ हैं —

1. संशोधन अनु. 368 की प्रक्रिया के अन्तर्गत होना चाहिए
2. संशोधित मूल अधिकार आधारभूत ढांचे का भाग न हो और आधारभूत ढांचे के भाग घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका की है।